IX भुगतान और निपटान प्रणालियां और सूचना प्रौद्योगिकी

अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणाली की जरूरतों के अनुसार भुगतान तथा निपटान प्रणालियों में उल्लेखनीय प्रगति की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक इस स्पष्ट मिशन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि देश में परिचालनरत सभी भुगतान तथा भुगतान प्रणालियां 'सुरक्षित, निरापद, सुदृढ़, दक्ष, सुगम तथा प्राधिकृत' हों। इस मिशन के अनुरूप, भुगतान प्रणालियों की परोक्ष तथा प्रत्यक्ष निगरानी व्यवस्था को स्थापित करने के प्रयासों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक ने नए मॉडलों/प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए विद्यमान प्रणालियों की दक्षता में सुधार लाने के लिए वर्ष के दौरान कई उपाय किए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली के कार्यकलापों की दक्षता में अभिवृद्धि हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) की भूमिका से प्राप्त होनेवाले लाभों के दोहन को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जिनमें आइटी ढांचा तथा नए एप्लीकेशनों का कार्यान्वयन शामिल है।

IX.1 भुगतान तथा निपटान प्रणालियां आर्थिक तथा वित्तीय ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं तथा कौशलपूर्ण वित्तीय मध्यस्थन को बढ़ावा देकर ये समग्र आर्थिक निष्पादन तथा वित्तीय स्थिरता में योगदान करती हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशिष्टता यह है कि यहां भुगतान प्रणालियों तथा उत्पादों की बहुलता है और यह विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आधारित भुगतान प्रणालियों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ कागज़ आधारित पारंपरिक भुगतान माध्यम की निरंतरता को दर्शाता है। भुगतान तथा निपटान प्रणालियों का बढ़ता दायरा तथा इसके नए रूपों का विकास इन प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से भुगतान प्रणालियों के पर्यवेक्षण और उनकी निगरानी को रिज़र्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य बनाता है। विनियामक का कार्य करने तथा भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के विकास को सुगम बनाने के अलावा रिज़र्व बैंक समग्र बैंकिंग क्षेत्र तथा स्वयं के परिचालनों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में हुई अग्रगति से मिलनेवाले लाभों का दोहन करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

IX.2 वैश्विक वित्तीय बाजारों में दबावों के दौरान भारत में भुगतान तथा निपटान प्रणालियों ने व्यवधानरहित तरीके से कार्य किया तथा इसने संक्रमण फैलाने के माध्यम के रूप में कार्य नहीं किया। 2009-10 के दौरान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण उच्च मूल्यवर्गीय लेनदेनों तथा जनसाधारण के खुदरा लेनदेनों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करते हुए भुगतान तथा निपटान प्रणालियों ने व्यवधानरहित तरीके से तथा दक्षता से कार्य किया। रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान तथा निपटान प्रणालियों को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए विभिन्न प्रौद्योगिकीय प्रयासों के कारण यह सब संभव हुआ।

भुगतान तथा निपटान प्रणालियां

IX.3 भुगतान तथा निपटान प्रणालियों में प्रौद्योगिकी प्रेरित विकास की भूमिका हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रही है और इसे दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम श्रेणी में वर्तमान के वे भुगतान उत्पाद आते हैं जिनको प्रौद्योगिकी के विकास के चलते हुए नए चैनलों में उपयोग हेतु रूपांतरित किया जाना है। कार्ड योजनाएं, जो सर्वत्र स्वीकृत नेटवर्क के रूप में स्थापित हो चुकी हैं, इस पहली श्रेणी में आती हैं। इंटरनेट पर कार्ड आधारित भुगतान को स्वीकार किए जाने के चलते इन उत्पादों का पूरे विश्व में उपयोग कर पान संभव हुआ है। दूसरी श्रेणी में वितरण के वे नए चैनल आते हैं जो प्रौद्योगिकी से समर्थित हैं। इंटरनेट/मोबाइल आधारित उत्पाद भुगतान के महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं। इसके कारण बैंक से इतर खिलाड़ी भी इस क्षेत्र में आ गए हैं। परिवर्तनों की गति तथा उनकी जटिलता के साथ-साथ इनसे जुड़ी जोखिमों को देखते हुए इन गतिविधियों के विनियामक तथा सहूलियतकर्ता के रूप में रिज़र्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

भुगतान तथा निपटान प्रणालियों में भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक और विकासात्मक भूमिका

IX.4 भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 द्वारा रिज़र्व बैंक को देश में भुगतान प्रणालियों के विनियमन तथा पर्यवेक्षण का सांविधिक अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने एक शीर्ष संस्था - भुगतान तथा निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) का गठन किया है। रिज़र्व बैंक का भुगतान तथा निपटान प्रणाली

विभाग (डीपीएसएस) इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन में बीपीएसएस की सहायता करता है।

IX.5 भुगतान तथा निपटान अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी संस्था को अधिनियम में परिभाषित भुगतान प्रणाली के परिचालन का कार्य करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राधिकार प्राप्त करना (यदि पीएसएस अधिनियम में स्पष्ट रूप से छूट न दी गई हो) आवश्यक है। जून 2010 के अंत तक पूर्वदत्त भुगतान लिखतों, कार्ड योजनाओं, सीमापार से आवक मुद्रा अंतरण, ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) नेटवर्क तथा केंद्रीकृत समाशोधन व्यवस्था के 37 भुगतान प्रणाली परिचालकों को प्राधिकार दिया गया है। प्राधिकृत की गई संस्थाओं के ब्यौरे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) में दिए गए हैं। सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों को सूचित किया गया है कि वे बैंक द्वारा जारी किए गए संबंधित धनशोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों तथा आंतकवाद वित्तपोषण निरोधक (सीएफटी) दिशानिर्देशों का पालन करें।

भुगतान तथा निपटान प्रणालियों का विकास

IX.6 2009-10 के दौरान विभिन्न भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के अंतर्गत सकल टर्नओवर में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2008-09 के दौरान 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी IX.1)। जीडीपी के अनुपात के रूप में भुगतान प्रणाली के वार्षिक टर्नओवर में वृद्धि हो रही है जो अर्थव्यवस्था की वित्तीय गहनता के अनुरूप है।

कागज आधारित भुगतान प्रणालियां

IX.7 मात्रा की दृष्टि से कागज आधारित प्रणालियां अभी भी महत्वपूर्ण होने के कारण इसे प्रणालीव्यापी महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (स्वाइप्स) की श्रेणी में रखा गया है। परंतु हाल के वर्षों में इसके हिस्से में मात्रा तथा मूल्य दोनों ही दृष्टि से गिरावट आ रही है (चार्ट IX.1)। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने तथा बाहरी चेकों की उगाही में लगनेवाले समय को कम करने के लिए मैग्नेटिक

सारणी IX.1 : भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक टर्नओवर

मद	मात्रा (000 में)			मूल्य (करोड़ रुपए)		
	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियां (एसआइपीएस)						
1. उच्च मूल्यवर्ग समाशोधन	21,919	21,848	5,525	55,00,018	45,50,667	18,61,560
2. आरटीजीएस	5,840	13,366	33,241	2,73,18,330	3,22,79,881	3,94,53,359
एसआइपीएस का जोड़ (1+2)	**27,759**	**35,214**	**38,766**	**3,28,18,348**	**3,68,30,548**	**4,13,14,919**
				(6.6)	**(6.6)**	**(6.6)**
वित्तीय बाजार समाशोधन						
3. सीबीएलओ	113	119	142	81,10,829	88,24,784	1,55,41,378
4. सरकारी प्रतिभूति समाशोधन	216	270	346	56,02,602	62,54,519	89,86,718
5. विदेशी मुद्रा समाशोधन	757	838	884	1,27,26,832	1,69,37,489	1,42,11,486
सकल वित्तीय बाजार समाशोधन (3 से 5)	**1,086**	**1,227**	**1,372**	**2,64,40,263**	**3,20,16,792**	**3,87,39,582**
				(5.3)	**(5.7)**	**(6.2)**
अन्य						
6. एमआइसीआर समाशोधन	12,01,045	11,40,492	11,43,164	60,28,672	58,49,642	66,64,003
7. गैर-एमआइसीआर समाशोधन	2,37,600	2,33,566	2,30,567	18,67,376	20,60,893	18,78,425
खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन						
8. ईसीएस डेबिट	1,27,120	1,60,055	1,50,214	48,937	66,976	69,819
9. ईसीएस क्रेडिट	78,365	88,394	98,550	7,82,222	97,487	1,17,833
10. ईएफटी/ एनईएफटी	13,315	32,161	66,357	1,40,326	2,51,956	4,11,088
सकल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन काड	**2,18,800**	**2,80,610**	**3,15,121**	**9,71,485**	**4,16,419**	**5,98,740**
11. क्रेडिट कार्ड	2,28,208	2,59,561	2,34,209	57,985	65,356	62,950
12. डेबिट कार्ड	88,306	1,27,654	1,70,170	12,521	18,547	26,566
अन्य का जोड़ (6 से 12)	**19,73,954**	**20,41,883**	**20,93,231**	**89,38,039**	**84,10,857**	**92,30,684**
				(1.8)	**(1.5)**	**(1.5)**
सकल जोड़ (1 से 12)	**20,02,799**	**20,78,324**	**21,33,369**	**6,81,96,650**	**7,72,58,197**	**8,92,85,185**
				(13.8)	**(13.9)**	**(14.3)**

टिप्पणी: 1. उच्च मूल्यवर्ग समाशोधन का आशय 1लाख /10 लाख रुपए के चेकों से है। 1.4.2010 से इसे समाप्त कर दिया गया है।
2. सरकारी प्रतिभूतियों के समाशोधन, सीबीएलओ तथा विदेशी मुद्रा लेनदेनों का निपटान क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है।
3. अप्रैल 2010 के अंत में 66 केंद्रों पर एमआइसीआर समाशोधन की सुविधा उपलब्ध थी (पिछले वर्ष 65 केंद्रों पर यह सुविधा थी)।
4. कार्ड से संबंधित आंकड़े केवल पीओएस टर्मिनलों पर किए गए लेनदेनों के हैं।
5. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत हैं।
6. स्टाक एक्सचेंजों के निदेशानुसार, 2007-08 के खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन के आंकड़ों (मात्रा तथा मूल्य) में कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए गए आइपीओ की अतिरिक्त अभिदान राशि की वापसी के आंकड़े शामिल हैं।

इंक करेक्टर रिकग्निशन (एमआइसीआर) समाशोधन के हिस्से के रूप में 66 एमआइसीआर चेक प्रसंस्करण केंद्रों पर त्वरित (स्पीड) क्लियरिंग व्यवस्था (बैंकों की कोर बैंकिंग ढांचे का लाभ उठाने के लिए 2008 में शुरू की गई थी) उपलब्ध करायी गई है। इसके चलते बाहरी चेकों की राशि प्राप्त होने में लगनेवाला समय कम होकर टी+2/3 दिन हो गया है। इसके परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से चलाई जा रही अंतर शहर समाशोधन व्यवस्था को नवंबर 2009 से समाप्त कर दिया गया।

IX.8 कुशलता में और सुधार लाने के साथ-साथ चेकों की भौतिक रूप में आवाजाही को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली में 2008 में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) की शुरुआत की गई जिसमें समाशोधन हेतु चेकों के प्रसंस्करण के लिए इमेजों का उपयोग किया जाता है। चेकों की समग्र मात्रा का सीटीएस में अंतरण हो जाने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एमआइसीआर प्रसंस्करण को बंद कर दिया गया है। इस समय पूरे देश के लगभग 12 प्रतिशत चेकों का प्रसंस्करण सीटीएस प्रणाली से किया जाता है। सीटीएस प्रणाली का लाभ देश के अन्य भागों में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चेन्नै में सीटीएस प्रणाली प्रारंभ करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ग्रिड आधारित एक दृष्टिकोण की परिकल्पना की जा रही है जिसके जरिए क्षेत्र के सभी केंद्र इस व्यवस्था से जुड़कर सीटीएस से मिलनेवाले लाभ का फायदा उठा सकते हैं।

IX.9 व्यापक समीक्षा एवं सभी पणधारियों के साथ चर्चा के उपरांत चेक फार्मों/पन्नों पर अनिवार्य तथा वांछनीय सुरक्षा संबंधी विशिष्टताओं के निर्धारण सहित 'सीटीएस-2010 मानक' के नाम से एक नया चेक मानक का प्रस्ताव किया गया है जो प्रस्तुतीकरण तथा प्रसंस्करण में इमेजों का उपयोग करने में बैंकों को और अधिक सुविधा प्रदान करेगा (बॉक्स IX.1)। 2011 की शुरुआत से चरणबद्ध तरीके से इसका कार्यान्वयन शुरू होने की आशा है।

IX.10 व्यवस्था से जुड़ी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए तथा आरटीजीएस, एनइएफटी जैसे वैकल्पिक कुशल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहन देने के महत्वपूर्ण कदम के रूप में रिज़र्व बैंक ने व्यवधानरहित तरीके से देश के 30 बड़े केंद्रों पर परिचालित उच्च मूल्यवर्ग समाशोधन (एचवीसी) (अर्थात 1 लाख तथा उससे अधिक राशि के स्थानीय चेकों का उसी दिन समाशोधन) व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। तथापि, उच्च मूल्यवर्ग के चेक सामान्य एमआइसीआर समाशोधन में प्रस्तुत किए जाते रहेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली

IX.11 भारतीय रिज़र्व बैंक वर्षों के दौरान ऐसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों की शुरुआत करने को सक्रियता से प्रोत्साहित कर रहा है जो ढूंढने की सुविधा, दक्षता, गति तथा सुरक्षा की दृष्टि से कागज़ आधारित प्रणालियों से उन्नत हो। इनमें तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) जैसे उच्च मूल्यवर्ग के भुगतान विकल्प के साथ-साथ बहु क्रेडिट/डेबिट लेनदेनों (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)- क्रेडिट/डेबिट) को सुकर बनाने वाला खुदरा भुगतान विकल्प अथवा व्यक्ति से व्यक्ति को किया जानेवाला इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण-एनईएफटी) शामिल हैं।

क) वर्तमान की ईसीएस सेवा, जो 86 प्रमुख केंद्रों में उपलब्ध थी, के विस्तार की भौगोलिक सीमाओं से मुक्त होने तथा

चार्ट IX.1: कागज आधारित बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों का हिस्सा

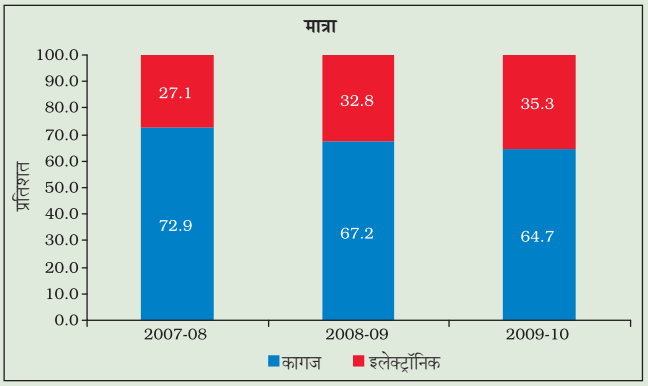

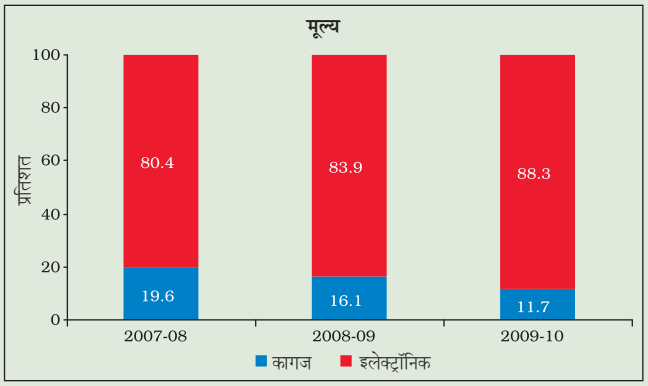

बॉक्स IX.1
नया चेक मानक 'सीटीएस 2010'

चेक समाशोधन में हुए नए विकास जैसे, मल्टी सिटी और सममूल्य पर देय चेकों के बढ़ते प्रयोग, छवि(इमेज) आधारित चेक प्रसंस्करण के प्रयोजनार्थ चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के प्रचलन में आने तथा बाहरी चेकों का स्थानीय प्रसंस्करण करने के लिए स्पीड क्लीअरिंग के बढ़ते उपयोग के कारण चेक प्रसंस्करण में जटिलता बढ़ गई है जिसके समाधानार्थ प्रसंस्करण की रीइंजीनियरिंग और उसका ऑटोमेशन करना आवश्यक हो गया है। उपर्युक्त घटनाक्रमों और साथ ही लंबी अवधि से प्रचलन में रहे चेक फॉर्मों के पैटर्न, डिजाइनों और सुरक्षा विशेषताओं में विविधता के कारण बैंकों द्वारा छापे जानेवाले, जारी किए जानेवाले और उपयोग किए जानेवाले चेकों में कतिपय न्यूनतम सुरक्षा विशेषताएं निर्धारित करने की आवश्यकता हुई ताकि पूरे बैंकिंग उद्योग में इनमें एकरूपता लाई जा सके। बैंक द्वारा, इस परिप्रेक्ष्य में, रिज़र्व बैंक के अलावा विभिन्न हितधारकों यथा - वाणिज्य बैंकों, कागज निर्माताओं तथा सिक्यूरिटी प्रिंटरों को मिलाकर एक कार्यदल का गठन किया गया है जो चेक फॉर्मों के अतिरिक्त मानकीकरण और उसमें अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं जोड़ने की आवश्यकता की जाँच करेगा।

कार्यदल की सिफरिशों तथा अन्यों के साथ-साथ बैंकों, भारतीय बैंक संघ (आइबीए) तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) से प्राप्त प्रतिसूचनाओं के आधार पर चेकों के मानकीकरण के संबंध में कतिपय मानक (बेंचमार्क) जारी किए गए। मानक, जिसे 'सीटीएस 2010 मानक' कहा जाता है, में चेक फार्मों पर होने वाले अनिवार्य तथा वैकल्पिक विशेषताएं शामिल हैं। अनिवार्य सुरक्षा विशेषताओं में सिक्युरिटी कागज की गुणवत्ता, 'सीटीएस-इंडिया' का वाटरमार्क, अदृश्य स्याही (यूवी स्याही) में बैंक का लोगो तथा वॉइड पेंटोग्राफ (कॉपी न की जा सकने वाली विशेषता) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ वांछनीय विशेषताओं का भी सुझाव दिया गया है जिनका कार्यान्वयन बैंक अपनी जरूरतों तथा जोखिम संबंधी धारणाओं के आधार पर कर सकते हैं। नये चेक मानक में महत्वपूर्ण फील्डों को चेक फार्म में शामिल करना अनिवार्य है। सीटीएस के परिदृश्य में, गुणवत्ता तथा चेक इमेजों की सामग्री में बेहतरी लाने के लिए चेक फार्मों में हल्के/पेस्टल कलर के उपयोग तथा जमावड़ा मुक्त पृष्ठभूमि की सिफारिश की गयी है। बेंचमार्क में अन्य बातों के साथ-साथ तारीख के वेलिडेशन को छोड़कर चेक पन्नों पर बदलाव/संशोधन करने की मनाही है। कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सीटीएस में यूवी इमेज के उपयोग को फिलहाल के लिए रोक रखा गया है तथा इसके बारे में बाद में समीक्षा की जाएगी।

न्यूनतम सुरक्षा विशेषताओं के सेट से न केवल देश में बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी चेकों में एकरूपता सुनिश्चित होगी बल्कि इसके चलते इमेज आधारित प्रसंस्करण वाले परिदृश्य में आदाता बैंकों के चेकों की जांच / पहचान करने में में भी प्रस्तुतकर्ता / संग्राहक बैंकों को मदद मिलेगी। यह आशा की जाती है कि जहां सुरक्षा विशेषताओं की एकरूपता से चेकों की धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी वहीं चेक फार्मों पर फील्डों के स्थानों के निर्धारण का मानकीकरण हो जाने से आप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के उपयोग द्वारा स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग करने में सुविधा होगी। यह प्रस्ताव है कि चेन्नई में सीटीएस के प्रारंभ होने से पूर्व बैंकों द्वारा 'सीटीएस-2010 मानक' लागू कर दिया जाएगा। आइबीए तथा एनपीसीआइ को यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि वे चेकों पर अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं को शुरू करने तथा नए मानक को देश भर में कार्यान्वित करने संबंधी अन्य पक्षों पर बैंकों के साथ समन्वय करें और उन्हें परामर्श दें।

उपयोगकर्ताओं द्वारा विभिन्न केंद्रों पर कई फाइलें प्रस्तुत करने की जरूरत से बचने के उद्देश्य से सितंबर 2008 में ईसीएस सेवा के एक नए रूप की शुरुआत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) के नाम से की गई थी। एनईसीएस में सदस्य बैंकों की कोर-बैंकिंग सोल्युशन (सीबीएस) समर्थित सभी शाखाएं भाग ले सकती हैं। एनईसीएस का प्रसंस्करण और निपटान मुंबई में केंद्रीकृत है। इसमें और सुधार के रूप में, राज्य / क्षेत्रीय स्तर पर परिचालन करने वाले बैंकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मई 2009 में बेंगलूर में प्रयोगिक आधार पर क्षेत्रीय ईसीएस (आरईसीएस) क्रेडिट की शुरुआत की गयी थी। आरईसीएस राज्य के एकल स्थान (राजधानी शहर) से परिचालित होता है तथा इससे पूरे राज्य की कोर-बैंकिंग से जुड़ी शाखाओं में स्थित हिताधिकारी के खाते में राशि जमा की जाती है। यह सुविधा चेन्नै में लागू की गयी है और इसे देश भर में लागू करने का प्रस्ताव है।

ख) निम्नलिखित व्यवस्थाओं के जरिए एनईएफटी को सुदृढ़ किया गया है: (i) कारोबार निरंतरता योजनाओं / आपदा के बाद पुनःबहाली की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, (ii) ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्रता से निराकरण हेतु ग्राहक सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना को अनिवार्य बनाना, (iii) समाशोधन की संख्या छह से बढ़ाकर ग्यारह करना तथा सप्ताह के दिनों में प्रणाली को 0900 बजे से 1900 बजे तक तथा शनिवार को 0900 बजे से 1300 बजे तक उपलब्ध कराना तथा (iv) हिताधिकारी के खाते में राशि जमा हो जाने की पुष्टि लेनदेन के प्रारंभकर्ता को 'सकारात्मक पुष्टि' के जरिए सूचित किए जाने को अनिवार्य बनाना। इस समय एनईएफटी की सुविधा देश भर की 69,000 शाखाओं में उपलब्ध है।

ग) आरटीजीएस के विषय क्षेत्र तथा कवरेज का विस्तार निम्नानुसार किया गया है: (i) दिसंबर 2009 से आरटीजीएस में कारपोरेट बांड लेनदेनों के ओटीसी ट्रेड के निधि वाले

चरण का निपटारा करने हेतु सेबी विनियमित समाशोधन करने वाली संस्थाओं को अनुमति प्रदान करना, तथा (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक में आरटीजीएस के ग्राहकों के लेनदेनों की प्रोसेसिंग के नियत समय को बढ़ाकर कार्यदिवसों में 1630 बजे तक तथा शनिवार को 1330 बजे तक किया जाना। तदनुसार, अंतर बैंक लेनदेनों की प्रोसेसिंग के नियत समय को बढ़ाकर कार्यदिवसों में 1800 बजे तक तथा शनिवार को 1500 बजे तक किया गया है। यह आशा की जाती है कि बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए आरटीजीएस में लेनदेन करने के नियत समय में तदनुसार वृद्धि करेंगे।

IX.12 भारत में आरटीजीएस प्रणाली मार्च 2004 से परिचालन में है तथा इसमें न केवल लेनदेनों की मात्रा तथा मूल्य की दृष्टि से बल्कि शाखाओं के कवरेज की दृष्टि से भी तेज वृद्धि हो रही है (चार्ट IX.2)। 2009-10 के दौरान, आरटीजीएस प्रणाली में 11,172 बैंक शाखाओं को शामिल किया गया जिसके कारण आरटीजीएस समर्थित बैंक शाखाओं की संख्या बढ़कर 66,178 हो गई है। आरटीजीएस प्रणाली की दक्षता इसके अधिकतम दैनिक लेनदेनों की मात्रा से आंकी जा सकती है जो 29 मार्च 2009 के 1.28 लाख लेनदेनों के वार्षिक अधिकतम स्तर की तुलना में 30 मार्च 2010 को बढ़कर 2.48 लाख लेनदेन हो गई। बढ़ी हुई इस मात्रा का प्रबंधन इसलिए सुगमता से किया जा सका क्योंकि रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2009 में आरटीजीएस एप्लीकेशन में ढांचागत परिवर्तन लागू करके डेटा सेंटर में केंद्रीय प्रणाली को उन्नीत किया था।

IX.13 बड़ी राशि के भुगतानों के निपटान हेतु आरटीजीएस के महत्व को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने वर्तमान की आरटीजीएस प्रणाली में सुधार लाने हेतु उपाय करना शुरू कर दिया है। प्रस्तावित प्रणाली से प्रौद्योगिकीय तथा चलनिधि बचाव संबंधी विशेषताओं में सुधार होगा और यह विश्व में अन्यत्र परिचालित तदनुरूप प्रणालियों के समतुल्य होगी। कारोबार तथा आइटी दोनों की दृष्टि से अगली पीढ़ी की आरटीजीएस प्रणाली हेतु आधारभूत दृष्टिकोण तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य प्रमुख वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

भुगतान के उभरते चैनल

IX.14 सूचना प्रौद्योगिकी की अग्रगति ने पूरे विश्व में उपलब्ध भुगतान चैनलों में उल्लेखनीय परिवर्तन ला दिया है। भारत में भी, जहां कार्ड आधारित भुगतानों का उपयोग काफी समय से हो रहा है वहीं हाल में इंटरनेट/मोबाइल फोन आधारित उत्पादों तथा लेनदेनों के लिए इन चैनलों के उपयोग में वृद्धि हो रही है तथा इनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। पूर्वदत्त कार्ड जैसे कार्डों के कई प्रकार भी उभरकर आए हैं। इस प्रकार के घटनाक्रमों के कारण एक विनियामक के रूप में रिज़र्व बैंक के सामने यह चुनौती है कि नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा भुगतान प्रणाली की यथातथ्यता एवं सुरक्षा की रक्षा करने और उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के बीच किस प्रकार समुचित सामंजस्य स्थापित किया जाए। इस व्यापक ढांचे के अंदर रिज़र्व बैंक ने इन भुगतान चैनलों के समुचित विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए।

IX.15 इंटरनेट/आइवीआर (तकनीकी रूप में कार्ड उपस्थित नहीं (सीएनपी) लेनदेनों के रूप में कहा जाता है) पर क्रेडिट/डेबिट कार्डों के उपयोग के कारण उत्पन्न होनेवाली जोखिमों को कम करने के लिए यह निर्धारित किया गया कि सभी सीएनपी लेनदेनों की पुष्टि अतिरिक्त रूप से उन जानकारियों के आधार पर की जानी चाहिए जो कार्ड पर उपलब्ध नहीं है तथा 5,000 रुपए तथा

चार्ट IX.2: तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस)

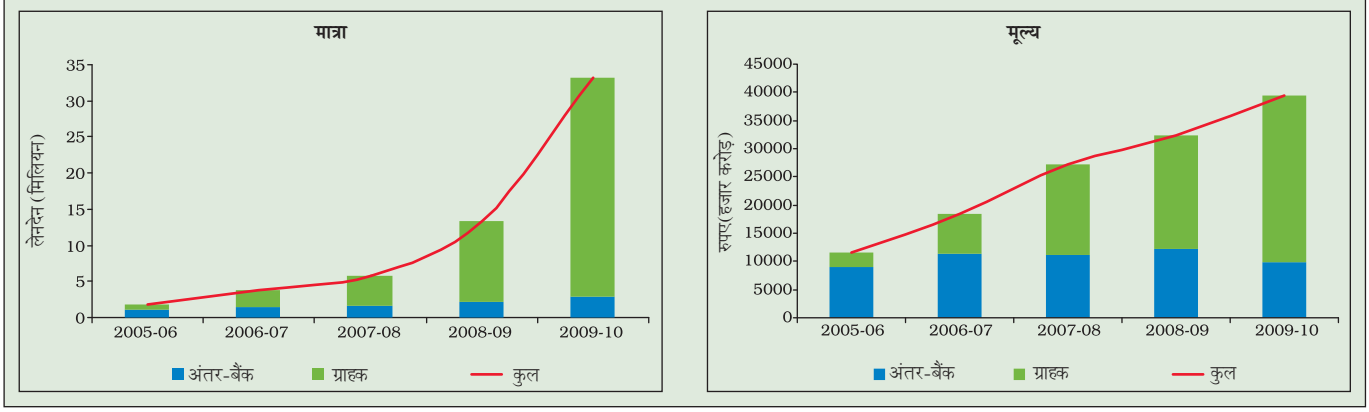

उससे अधिक मूल्य के ऐसे लेनदेनों के मामलों में कार्डधारक को ऑनलाइन सतर्कता सूचना भेजी जानी चाहिए।

IX.16 पूर्वदत्त भुगतान लिखतें वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद करने में मदद करती हैं और ऐसी खरीद लिखतों में स्टोर किए गए मूल्य पर आधारित होती है। भुगतान की इस उत्पाद में पारदर्शिता लाने एवं इसके समुचित विकास हेतु बैंक ने पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को जारी करने तथा इनके परिचालन के संबंध में अप्रैल 2009 तथा अगस्त 2009 में दिशानिर्देश जारी किए। अब तक 25 बैंकों तथा 12 गैर बैंकों को पूर्वदत्त कार्ड जारी करने के लिए अनुमति दी गई है।

IX.17 अक्तूबर 2008 में मोबाइल बैंकिंग के परिचालन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों में दिसंबर 2009 में ढील दी गई ताकि ई-कामर्स तथा मुद्रा अंतरण दोनों के लिए 50,000 रुपए तक का मोबाइल बैंकिंग लेनदेन किया जा सके। बैंकों को एक बैंक खाते से बैंक खाता न होनेवाले हिताधिकारी को 5,000 रुपए तक की मुद्रा अंतरण सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है जिसका नकद भुगतान एटीएम पर अथवा बैंकिंग संपर्की के जरिए होगा। 30 जून 2010 तक मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए 40 बैंकों को अनुमोदन जारी किया जा चुका है।

ग्राहक सेवा

IX.18 किसी भी दक्ष भुगतान प्रणाली को लागत तथा पहुंच की सहूलियत, निधि की संरक्षा तथा क्षतिपूर्ति से संबंधित ग्राहक सेवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से समाधान करना होता है। रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण उपाय किए।

(क) एटीएम में फेल हुए लेनदेनों संबंधी ग्राहक सेवाओं से जुड़े उन मुद्दे के प्रभावी समाधान हेतु रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2009 में बैंकों को निदेश जारी किए जब नकदी के वास्तविक संवितरण के बिना ग्राहक का खाता डेबिट हो जाता है। निदेश में फेल हुए लेनदेनों की पुनः क्रेडिट करने हेतु 12 कार्य दिवसों की सीमा का पालन करने की बात को दोहराया गया है तथा निर्धारित अवधि के बाद प्रत्येक दिन की देरी के लिए 100 रुपए की क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया गया है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि दंड के रूप में भुगतान की गई राशि का ब्यौरा देते हुए वे अपने बोर्ड को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा एटीएम लगाए गए सभी स्थानों पर प्रदर्शित करने के लिए एक मानकीकृत टेम्प्लेट निर्धारित किया गया है ताकि ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज करने में सुविधा हो सके।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिक्री स्थल (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या एटीएम की संख्या के 8 गुने से भी ज्यादा है तथा ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाने हेतु मुद्रा के संवितरण स्थलों की संख्या में वृद्धि करने की जरूरत है, बैंक ने पीओएस टर्मिनलों पर डेबिट कार्ड का उपयोग करके 1,000 रुपए तक की राशि का आहरण करने की अनुमति दे दी है। अब तक 4 बैंकों को यह सुविधा शुरू करने की अनुमति दी गई है।

(ग) वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद करने तथा जनोपयोगी सेवा प्रदान करनेवाली कंपनियों को भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक /ऑनलाइन माध्यम का उपयोग उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता जा रहा है। ग्राहकों की निधियों के लेनदेनों में एग्रिगेटरों तथा पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं जैसी मध्यवर्ती संस्थाएं जुड़ी होती हैं। ग्राहकों की निधि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवंबर 2009 में दिशानिर्देश जारी किए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन मध्यवर्तियों द्वारा ऐसी निधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा इन निधियों को धारित करनेवाले बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे जनोपयोगी कंपनियों/मर्चंटों को समय पर निधियों का निपटारा करें।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग/ समन्वय:

IX.19 अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के तत्वावधान में जुलाई 2009 में गठित भुगतान तथा निपटान प्रणाली संबंधी समिति (सीपीएसएस) ने अपने सदस्यों की संख्या में वृद्धि करते हुए भारत को एक सदस्य के रूप में शामिल किया है। सीपीएसएस केंद्रीय बैंकों के लिए देशी भुगतान, निपटान तथा समाशोधन व्यवस्था के साथ-साथ समुद्रपारीय तथा बहु मुद्रा निपटान योजनाओं संबंधी गतिविधियों की निगरानी तथा विश्लेषण करने के एक फोरम के रूप में कार्य करता है। भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के बेहतर कार्यकलापों की दिशा में मानक/दिशानिर्देश तैयार करने तथा विश्व भर में बाजार ढांचे के समर्थन हेतु गठित किए गए चार कार्यदलों में रिज़र्व बैंक का भी प्रतिनिधित्व है। भारत सार्क भुगतान काउंसिल का भी एक सदस्य है। सार्क के प्रयासों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना करने में रॉयल मॉनिटरी ऑथॉरिटी (आरएमएम) ऑफ भूटान की सहायता कर रहा है।

भुगतान प्रणाली विज़न

IX.20 पीपीएस अधिनियम के अधिनियमित हो जाने के बाद रिज़र्व बैंक ने बीपीएसएस के निदेशानुसार अपने मिशन वक्तव्य को 'यह सुनिश्चित करना कि देश में परिचालनरत सभी भुगतान तथा भुगतान प्रणालियां सुरक्षित, निरापद, सुदृढ़, दक्ष, सुगम तथा प्राधिकृत हो' के रूप में समुचित रूप से उन्नीत किया है। इस मिशन की प्राप्ति के लिए 2009-12 के लिए निर्धारित लक्ष्य के साथ एक दस्तावेज तैयार किया गया है। बैंक अल्पावधि और मध्यावधि में देश में भुगतान प्रणाली के ढांचे की सुरक्षा, यथातथ्यता तथा सुदृढ़ता में वृद्धि हेतु प्रयास करेगा। इस दिशा में बैंक भुगतान प्रणालियों की प्रत्यक्ष और परोक्ष चौकसी हेतु एक ढांचे की स्थापना करने की प्रक्रिया में है।

IX.21 शेष अन्य चुनौतियों में ये शामिल हैं: (i) राष्ट्रीय स्तर पर चेक ट्रंकेशन प्रणाली का कार्यान्वयन, (ii) आरईसीएस (क्रेडिट तथा डेबिट) की समीक्षा तथा एनईसीएस (क्रेडिट तथा डेबिट) के साथ इसे जोड़ना, (iii) इंडिया कार्ड, पीओएस स्वीच तथा मोबाईल भुगतान निपटान नेटवर्क प्रारंभ करने के लिए एनपीसीआइ के कार्यकलापों में विस्तार को निर्देशित करना, तथा (iv) आरटीजीएस की अगली पीढ़ी का विकास करना।

IX.22 इंटरनेट देश विशेष की सीमा से मुक्त होने के कारण एक या कुछ देशों में प्राधिकृत सेवा प्रदाता संस्थाएं अपनी भुगतान सेवाएं अन्य देशों के ग्राहकों को भी प्रदान करती हैं। ये संस्थाएं विभिन्न देशों के बीच भुगतान, मुद्रा अंतरण तथा स्टोर्ड वैल्यू एकाउंट की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जिससे देश के अंदर तथा बाहर निधियों का प्रवाह होने के साथ-साथ देश के ग्राहकों की निधियां विदेश स्थित खाते में प्रवाहित होती है और ऐसे कार्य उन देश विशेष के कानूनी/विनियामक अपेक्षाओं के विपरीत हो सकते हैं जहां पूंजी खाता पूरी तरह परिवर्तनीय नहीं है। इसके कारण देश विशेष की एएमएल/सीएफटी अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना एक चुनौती बन जाती है। इसके अलावा, चूंकि अधिकांश ऐसी व्यवस्थाएं सामान्यतः अविनियमित होती हैं तथा इनका परिचालन अन्य देश से किया जाता है, अतः ऐसी संस्थाओं द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने में विफल होने पर अथवा उनके द्वारा कारोबार को समाप्त किए जाने पर देश के ग्राहकों के पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे परिदृश्य में रिज़र्व बैंक के लिए यह चुनौती है कि किस प्रकार प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों/संस्थाओं को सुचारु रूप से कार्य करने दिया जाए तथा अप्राधिकृत संस्थाओं की पहचान करके समय पर निवारक उपाय किए जाएं।

सूचना प्रौद्योगिकी

IX.23 सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) ने नवोन्मेषी उत्पाद तथा वितरण के नए चैनलों को आगे आने में सहूलियत प्रदान करके बैंकिंग परिचालनों की गति और कुशलता को बढ़ाने में सहायता की है। प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे विकास से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों की प्रेरक संस्था के रूप में रिज़र्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तेजी से बदलती प्रवृत्ति तथा उपयोगकर्ताओं की निरंतर बढ़ती मांग के परिवेश में आइटी का कार्यान्वयन कई चुनौतियां पैदा करता है जिनका विस्तार एप्लीकेशनों, सुरक्षा व्यवस्थाओं, नेटवर्क, वेंडर प्रबंधन तथा आंकड़ा प्रबंधन तक होता है।

IX.24 2009-10 के दौरान रिज़र्व बैंक ने आइटी की ढांचागत सुविधाओं में सुधार करने, नए एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन तथा वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का और अधिक उपयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने जैसी कई पहलें कीं।

सूचना प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढांचा

IX.25 वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में बेहतर सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सबसे पहली जरूरत है, अतः सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार लाने की दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयास कर रहा है।

डेटा केंद्र: भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान तथा निपटान प्रणालियों को चलाने तथा अपने आंतरिक एप्लीकेशनों के लिए तीन डेटा केंद्रों की स्थापना की है। ये तीनों डेटा केंद्र 24x7 आधार पर कार्य करते हैं। एप्लीकेशनों (भुगतान तथा गैर भुगतान दोनों प्रणालियों से संबंधित) के सही तरीके से चलने को सुनिश्चित करने के अलावा ये डेटा केंद्र कारोबार निरंतरता के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। 2009-10 के दौरान भुगतान तथा निपटान प्रणाली एप्लीकेशनों के साथ-साथ गैर भुगतान संबंधित एप्लीकेशनों की आवधिक अंतरालों पर आपदा के बाद पुनःबहाली (डीआर) की ड्रिल की गई।

नेटवर्क: भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट), जोकि बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी) द्वारा स्थापित भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए सीमित उपयोगकर्ता समूह के संचार का मूलाधार है, ने भुगतान तथा निपटान प्रणाली एप्लीकेशनों के लिए सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करना जारी रखा।

सुरक्षित इंटरनेट वेबसाइट: यह बैंकों तथा सरकारी संस्थाओं को इंटरनेट से रिज़र्व बैंक से जोड़ने का वेब आधारित एकल इंटरफेस

है। यह रिज़र्व बैंक तथा अन्य बाहरी एजेंसियों के बीच जानकारियों के सुरक्षित आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में कार्य करता है। इस साइट में जिन विभिन्न यूटिलिटियों का उपयोग किया जाता है उनमें बैंकों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग की प्रणाली (ओआरएफएस), बैंकिंग लोकपाल योजना से संबंधित शिकायत ट्रेकिंग की प्रणाली तथा बैंकों और समाशोधन गृहों द्वारा एमआइसीआर/ईसीएस आंकड़ों के आदान-प्रदान से जुड़ी यूटिलिटियां हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन

IX.26 रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित एप्लीकेशनों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: (i) भुगतान तथा निपटान प्रणाली एप्लीकेशन, (ii) गैर भुगतान प्रणाली एप्लीकेशन तथा (iii) रिज़र्व बैंक के आंतरिक उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जानेवाले एप्लीकेशन। भुगतान तथा निपटान प्रणालियों से संबंधित एप्लीकेशनों में तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) तथा लोक ऋण कार्यालय-निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम (पीडीओ-एनडीए) का उपयोग पूरे वित्तीय क्षेत्र में किया जाता है जबकि एकीकृत लेखा प्रणाली (आइएएस) तथा केंद्रीकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली (सीपीएडीएस) का उपयोग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है।

भुगतान तथा निपटान प्रणाली एप्लीकेशन

IX.27 2009-10 के दौरान सरकारी प्रतिभूति खंड में कुछ नए उत्पाद लाए गए जैसे कि स्ट्रिप्स, ब्याज दर फ्यूचर्स तथा दिनांकित नकदी प्रबंधन बिल। उक्त उत्पादों के सुचारु परिचालन हेतु पीडीओ-एनडीएस एप्लीकेशन में समुचित रूप से संशोधन किया गया।

IX.28 रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में उपयोग किए जा रहे गैर केंद्रीकृत लेखांकन पैकेज (बेसिस सॉफ्टवेयर) के स्थान पर डेटा केंद्रों से प्रचालित एकीकृत लेखांकन प्रणाली (आइएएस) को लाया जा रहा है जो सभी जमा लेखा विभागों (डीएडी) के वर्तमान बेसिस सॉफ्टवेयर का स्थान लेगी। टेली-इन्क्वायरी को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी जमा लेखा विभागों को जोड़कर डेटा केंद्रों में केंद्रीकृत इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पांस सिस्टम (आइवीआरएस) को लागू किया गया है। यह सुविधा एकल टोल फ्री नंबर के जरिए रिज़र्व बैंक के सभी चालू खाताधारकों के लिए उपलब्ध है। इस सुविधा का उपयोग करके चालू खाताधारक अपने खाते से संबंधित जानकारी टेलीफोन अथवा फैक्स के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

IX.29 सीपीएडीएस को, जोकि सरकारी लेनदेनों के संचालन के लिए पब्लिक की इंन्फ्रास्ट्रक्चर (पीकेआइ) आधारित सुरक्षायुक्त केंद्रीकृत वेब आधारित एप्लीकेशन है, 1 सितंबर 2009 से सभी लोक लेखा विभागों में लाइव रूप में कार्यान्वित किया गया है। अतिरिक्त कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन को उन्नीत किया जा रहा है।

IX.30 बैंक के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन लागू करने हेतु प्रयास किए गए हैं। इसके लागू होने के बाद यह बैंक की वर्तमान की विभिन्न लेखांकन प्रणालियों का स्थान ले लेगा।

गैर भुगतान प्रणाली एप्लीकेशन

IX.31 भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस (डीबीआइई), एकीकृत कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन तथा प्रबंधन प्रणाली (आइकॉम्स), कंप्यूटरीकृत परोक्ष निगरानी प्रणाली (कॉसमॉस) जैसे बाहरी उपयोगकर्ता वाले कतिपय गैर भुगतान प्रणाली एप्लीकेशनों को पहले ही डेटा केंद्रों में अंतरित कर दिया गया है जबकि परोक्ष निगरानी प्रणाली (ऑसमॉस) तथा परोक्ष चौकसी प्रणाली (ओएसएस) के अंतरण की प्रक्रिया जारी है।

रिज़र्व बैंक के आंतरिक उपयोगकर्ताओं हेतु एप्लीकेशन

IX.32 मेल मैसेजिंग समाधान (एमएमएस), एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल (ईकेपी), दस्तावेज प्रबंधन सूचना प्रणाली (डीएमआइएस), एकीकृत स्थापना प्रणाली (आइईएस) तथा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) जैसे एप्लीकेशन रिज़र्व बैंक में आंतरिक प्रोसेसों तथा प्रक्रियाओं के मशीनीकरण में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

IX.33 1999 में स्थापित वर्तमान के लोकल एरिया नेटवर्क का अद्यतन प्रौद्योगिकी से पूर्णतः नवीकरण करने की परियोजना की शुरुआत की गई है। रिज़र्व बैंक के सभी के कार्यालयों के वर्तमान के प्रॉक्सी सर्वरों तथा डोमेन कंट्रोलरों को बदलने की प्रक्रिया की भी शुरुआत की गई है।

IX.34 भुगतान प्रणाली एप्लीकेशनों के लेनदेनों की बढ़ी हुई मात्रा के प्रबंधन हेतु वर्तमान के मेनफ्रेम के संसाधनों को उन्नीत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए एक तकनीकी परामर्शी दल (टीएजी) का गठन किया गया है जिसमें विभिन्न संस्थाओं के सदस्य शामिल हैं। यह दल अगले 3-5 वर्ष के दौरान मेनफ्रेम संसाधनों की आवश्यकताओं की समीक्षा करेगा और तदनुसार अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

IX.35 भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विनियामक तथा पर्यवेक्षी कार्यकलापों के हिस्से के रूप में वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, प्राधिकृत व्यापारियों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से नियत प्रारूप वाले विभिन्न आंकड़े (विवरणियाँ) संग्रह करता है। रिज़र्व बैंक ने पहले ही ओआरएफएस प्रणाली स्थापित कर रखी है जिसके जरिए बैंक अपनी विवरणियां प्रस्तुत कर सकते हैं। बैंकों की विद्यमान आइटी प्रणालियों का अध्ययन करने तथा इन प्रणालियों से रिज़र्व बैंक में आंकड़ों के स्वतः प्रवाह को कार्यान्वित करने हेतु उपयुक्त दृष्टिकोण का सुझाव देने के लिए एक कार्यदल का भी गठन किया गया है। इस प्रक्रिया में बैंक अपनी आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार के साथ-साथ प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं निर्णय समर्थन प्रणाली तैयार कर सकते हैं।

IX.36 सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग को देखते हुए इसकी सुरक्षा की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चूंकि एप्लीकेशनों के विकास एवं उसके अनुरक्षण के कार्यों को आउटसोर्स करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अतः वेंडरों के प्रबंधन तथा उनकी निगरानी से जुड़े मुद्दे चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं तथा इनका समाधान सक्रियता से किया जाना है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि समग्र वित्तीय प्रणाली में इसके विभिन्न घटक सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन सिद्धांतों का पालन करते हैं (बॉक्स IX.2)। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के लागू किए जाने के चलते बैंकिंग क्षेत्र में भारी मात्रा में आंकड़ों का संग्रह और भंडारण हो गया है तथा केंद्रीय बैंक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में जानकारियों के अधिकाधिक उपयोग के कारण बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने की जरूरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी विज़न

IX.37 रिज़र्व बैंक के लिए 2011-2017 की अवधि हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विजन तैयार करने तथा अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा करने तथा भावी मार्ग के बारे में सुझाव देने के लिए उप गवर्नर (डॉ.के.सी.चक्रवर्ती) की अध्यक्षता में तथा आइआइटी, आइआइएम, आइडीआरबीटी, बैंकों तथा रिज़र्व बैंक से सदस्य लेकर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया।

बॉक्स IX.2
सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन कंपनी अभिशासन का एक हिस्सा है जिसका फोकस सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तथा उनके कार्य-निष्पादन एवं जोखिम प्रबंधन पर होता है। जहां प्रभावी कंपनी अभिशासन की कार्यनीति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक संगठन के अपने सभी पक्षों के प्रबंधन में सहायता करती है वहीं आइटी अभिशासन नियंत्रित तरीके से आइटी के संभावित लाभ की प्राप्ति को सुनिश्चित करने तथा संस्था की दीर्घावधि वहनीय सफलता को बढ़ाने में मदद करता है। आइटी अभिशासन का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आइटी में निवेश से कारोबारी मूल्य में अभिवृद्धि हो तथा आइटी से जुड़ी जोखिमों को कम किया जा सके। आइटी अभिशासन का विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि बैंकों के संस्थागत कार्यकलापों में सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा एक मूलाधार के रूप में स्थापित होता है। बैंक में सुदक्ष आइटी ढांचा स्थापित करने में भारी निवेश की जरूरत पड़ती है। अतः इसकी निरंतर उपलब्धता तथा निवेश से मिलनेवाले लाभ की दृष्टि से इसके मूल अभिशासन सिद्धांतों को निरूपित करने की जरूरत है।

मानक आइटी अभिशासन ढांचा आइएसओ/आइईसी 38500

विश्व का औपचारिक अंतरराष्ट्रीय आइटी अभिशासन मानक, आइएस/आइईसी 38500 का प्रकाशन जून 2008 में किया गया। आइएसओ/आइईसी 38500 बोर्ड द्वारा सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के अभिशासन हेतु एक बहुत ही सुस्पष्ट फ्रेमवर्क का प्रतिपादन करता है।

आइटीआइएल (ITIL®)/सीओबीआइटी (Cobit®)/आइएसओ 17799

व्यापक रूप से स्वीकृत, वेंडर निरपेक्ष तीसरे पक्ष वाले तीन फ्रेमवर्क उपलब्ध हैं जिन्हें सामान्यतः 'आइटी अभिशासन फ्रेमवर्क' अर्थात आइटीआइएल, सीओबीआइटी तथा आइएसओ 17799 के नाम से जाना जाता है। जहां अपने आप में ये इस कार्य हेतु पूर्णतः पर्याप्त नहीं है वहीं प्रत्येक में आइटी अभिशासन की उल्लेखनीय क्षमता है। आइटीआइएल अथवा आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी का विकास यू.के. ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट कामर्स द्वारा आइटी सेवा के प्रबंधन हेतु श्रेष्ठ प्रथा की प्रक्रियाओं का एक संकलन है। विश्व में व्यापक तौर पर स्वीकृत आइटीआइएल आइएसओ/आइईसी 20000: 2005 द्वारा समर्थित है तथा इसका स्वतंत्र रूप से प्रमाणन प्राप्त किया जा सकता है। सीओबीआइटी अथवा सूचना तथा संबद्ध प्रौद्योगिकी के लिए नियंत्रक लक्ष्य, का विकास अमरीका के आइटी गवर्नेंस इंस्टिट्यूट द्वारा किया गया। सीओबीआइटी को सूचना, आइटी तथा संबद्ध जोखिमों के नियंत्रण हेतु एक बेहतर प्रथा के रूप में बढ़ती स्वीकृति मिल रही है। आइएसओ 17799, अभी जिसका नाम आइएसओ 27002 दिया गया है और जो आइएसओ 27001 द्वारा समर्थित है (दोनों जिनेवा स्थित इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समर्थित), संस्थाओं में सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए वैश्विक स्तर पर श्रेष्ठ प्रथा मानक है।

इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रभावी आइटी अभिशासन उपायों के न होने पर भविष्य में आइटी परियोजनाएं अधिक जोखिम का सामना करेंगी। चूंकि प्रत्येक संस्था अपने निजी परिवेश, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों की दृष्टि से भिन्न होती है, अतः प्रत्येक संस्था की अपनी अनूठी चुनौतियां होती हैं। इनमें से कोई भी मुद्दा प्रभावी अभिशासन प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। बाधा उत्पन्न करनेवाले ऐसे सामान्य कारकों में कमजोर रणनीतिगत व्यवस्था, परियोजना के स्वामित्व की कमी, खराब जोखिम प्रबंधन तथा अप्रभावी संसाधन प्रबंधन हैं।